

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 31 अगस्त, 2018

1- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का.- 6759/ श्रीमती शादॉ नुसरत, झाप्रसे0 (पंचम बैच, गृह जिला- गोड्डा), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3694 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती नुसरत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

2- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का.- 6760/ श्री अमित बेसरा, झाप्रसे0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- सिमडेगा), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3695 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री बेसरा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लोहरदगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

3- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का.- 6761/ मो0 आबिद हुसैन, झाप्रसे0 (तृतीय बैच, गृह जिला- राँची), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3696 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 हुसैन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत चतरा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

4- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का.- 6762/ श्री संजय कुमार बखला, झाप्रसे0 (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला- लोहरदगा), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3697 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री बखला को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

5- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का.- 6763/ मो0 जमाले राजा, झाप्रसे0 (पंचम बैच, गृह जिला- राँची), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3698 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 राजा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गुमला जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

6- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का.- 6764/ श्री अरुण कुमार तिर्की, झाप्रसे0 (पंचम बैच, गृह जिला- राँची), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3699 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री तिर्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

३१/८/१८

7— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6765/ मो0 आफताब अहमद, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला— पलामू), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3700 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **भू-सम्पदा पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

8— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6766/ मो0 सलमान जफर खिजरी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— लोहरदगा), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3701 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 खिजरी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत चतरा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

9— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6767/ मो0 हारून रशीद, झा0प्र0से0 (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला— लोहरदगा), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3702 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii मो0 रशीद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत चतरा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

10— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6768/ मो0 कयुम अंसारी, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला— देवघर), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3703 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 अंसारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लातेहार जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

11— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6769/ श्रीमती शीतल कुमारी, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला— हजारीबाग), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3704 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती शीतल कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत राँची जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

12— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6770/ श्री राहुल वर्मा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— राँची), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3705 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री वर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत रामगढ़ जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

13— संख्या— 4/स्थापद-02-03/2015 का.— 6771/ मो0 एजाज हुसैन अंसारी, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला— गुमला), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0— 3706 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 अंसारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सिमडेगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

31/8/18

14- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6772/ श्री समीर अल्फ्रेड मुर्मू, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला- गोड्डा), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3707 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री मुर्मू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

15- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6773/ श्रीमती कनक, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- जहानाबाद), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3709 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कनक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत खूँटी जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

16- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6774/ मोहम्मद अनिस, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला- प0 सिंहभूम), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3710 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इनकी सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए अगले आदेश तक **कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम, धनबाद** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

17- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6775/ मो0 इमतियाज अहमद, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला- लातेहार), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3711 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 अहमद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

18- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6776/ मो0 शफीक आलम, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- दुमका), मूल कोटि की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3712 दिनांक 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 आलम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत कोडरमा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

19- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6777/ श्रीमती छविबाला बारला, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- गुमला), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती बारला को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

20- संख्या- 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.- 6778/ श्री जयंत जेरोम लकड़ा, झा0प्र0से0 (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- राँची), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री लकड़ा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

9/31/18

21— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6779/ सुश्री पियुशा शालीना डोना मिंज, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला— गुमला), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. सुश्री मिंज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लोहरदगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

22— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6780/ श्री अनुज बांडो, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला— राँची), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री बांडो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

23— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6781/ श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— गुमला), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

24— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6782/ श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— सिमडेगा), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

25— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6783/ श्री कृष्ण मुरारी तिर्की, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला— राँची), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री तिर्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत साहेबगंज जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

26— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6784/ श्रीमती जेसी विनिता केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— गुमला), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गोड्डा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

27— संख्या— 4/स्था0पद0-02-03/2015 का.— 6785/ श्रीमती नाजिया अफरोज, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला— राँची), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती अफरोज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बरही, हजारीबाग जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

१३/११/१८

28— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6786/ श्रीमती बबली कुमारी, झा0प्र0से0 (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला— पूर्वी चंपारण), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3578 दि0 23.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू, राँची** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती बबली को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बुण्डू, राँची जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

29— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6787/ मो0 जहूर आलम, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— जामताड़ा), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3598 दि0 24.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 आलम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

30— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6788/ मो0 अजफर हसनैन, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला— गोड्डा), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3598 दि0 24.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. मो0 हसनैन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

31— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6789/ श्री परमेश्वर मुण्डा, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला— रामगढ़), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3598 दि0 24.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री मुण्डा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

32— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6790/ श्री गुलजार अंजुम, झा0प्र0से0 (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिला— कोडरमा), मूल कोटि की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक— 3598 दि0 24.08.18 द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री अंजुम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

33— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6791/ श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक **कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत रामगढ़ जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

34— संख्या— 4/स्था0पद0—02—03/2015 का.— 6792/ श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला— गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले अदेश तक उन्हें अपने वेतनमान में **सहायक निदेशक, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची** के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

21/8/18

35- संख्या- 4/स्थापद-02-03/2015 का- 6793/ सुश्री दीपमाला, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पलामू), कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. सुश्री दीपमाला को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

II. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण सुनिश्चित करेंगे।

III. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(एच0 के0 सुधौंशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 4/स्थापद-02-03/2015 का0 6794/ राँची, दिनांक- 31 अगस्त, 2018


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 4/स्थापद-02-03/2015 का0 6794/ राँची, दिनांक- 31 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, प्रभारी (प्रशाखा-5 एवं 6)/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1 एवं 2 कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।